

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज  
104/2017

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम की तारीख  
में जारी हुए

05/02/24

प्राणली पेश कर्ता  
बुलाम उपस्थित।  
जानी श्री मोहन लाल पुत्र मुखाराम  
की ओर से पदाभिलषणा मय प्रार्थना  
पत्र 01(10) (2) CPC जरिफे कर्तव्या की  
जम्मेत में मोहला के पेशा विना  
वकीलें लैलात पशवली हो। जारिफे पत्र  
में वकील श्री कृष्ण के पुत्र जानी को  
लेखाखाना, उक्त सूक्ति का कर दिया  
है कनिष्ठ राजस्य केसरी से श्री  
मोहन लाल को है। इसीलिए पुत्र  
जानी को प्रकाश सनाया जाये। बहुत  
जमानत की गई। बहुत से प्राणली  
का कलेक्टर के पेशात प्रार्थना पत्र  
01(10) (2) CPC लैलात विना जारिफे  
जानी श्री मोहन लाल की होकर बाडी  
प्रकार बगैरे जाने के कोइश दिने  
जाते है। प्राणली कानून बहस प्रक्रिया  
डिफेंड काउन्टा दिनांक 05/02/24  
को पेशा हो।

न्यायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (म्यावर)

05/02/24

प्राणली पेश कर्ता  
बुलाम उपस्थित।  
वकील कर्तव्या के केशोर्धन श्री कृष्ण  
पेश किया है जो लैलात पशवली हो।  
वकील कर्तव्या के निवेदन विना सि  
द्वय में जारी कनिष्ठ डिफेंड कोइश  
दिनांक 21/12/23 को प्रयाप्त रखा  
जाये। केशोर्धन श्री कृष्ण के कोइश  
के कनिष्ठ सूक्ति का फरजा पुत्र बाडी  
लेखाखाना को फुर्त कर दिया था।  
इसीलिए उक्त जारी कोइश को प्रयाप्त  
रखा जाये। उक्त जारी कोइश दिनांक  
21/12/23 का प्रभाव कानिफेक तक

न्यायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (म्यावर)